

11/10/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण
 अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बजे आवेदन
 लगाई गई, संनिष्प आवेदन 5.45 PM पर लगाई
 गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई
 अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी-
 गणों के विरुद्ध एडवोकेट कार्रवाई कमल में
 लाई जाती है अतः पत्रावली बहस पत्रावली
 दिनांक - 02/11/2022 को पेश हो।

02/11/2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय
 भक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
 कारी दिग्गर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
 इल्लतवा होकर दिनांक 02/11/22 का
 पत्रावली है।

09/01/2023

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
 अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
 अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी
 खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की
 सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणने बने हुए थे जो वर्तमान में
 आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
 के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है
 इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान
 करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के
 नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश
 किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
 नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
 कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप
 स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी
 खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर
 करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली
 फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कोलक्टर (SUC)
 बायलु
 जिला - बाड़मेर